

अनुमति की शर्तें ।

- (i) तत्काल भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फाल सिद्धी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 313 दिनांक 15/09/2020

जी + 1

आवासीय

पार्थी मेराराम डा० श्री चैनाराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9750/- जमा

जरिये रसीद मूल्या 9069/5526, 5527

दिनांक 15/09/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 46 सेक्टर डी
सरस्वती नगर योजना

दिनांक 15/9/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Meeram

मेराराम चाँधरी

9001193879